

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

दिनांक 29-08-2025

// आदेश //

क्रमांक 1/0104/2025-ACAD-DHEI/467546/2025 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर **1 सितम्बर से 6 सितम्बर 2025** तक विशेष सीएलसी चरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह प्रवेश का अंतिम चरण है जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

- समस्त प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेंगे।
- यह सुविधा केवल रिक्त सीटों के लिए होगी।
- रिक्त सीटों की जानकारी विद्यार्थी के लॉगिन एवं महाविद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होंगी।
- पंजीकृत विद्यार्थी सम्बंधित महाविद्यालय में सीधे प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- विद्यार्थी जिस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है वहां सीट रिक्त होने पर सीधे महाविद्यालय पहुँच कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।
- प्रवेश के विषय में समस्त जानकारी/समस्या हेतु सम्बंधित महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर संपर्क करें।
- नवीन पंजीकृत विद्यार्थी केवल एक कॉलेज में पंजीयन कर सकेंगे। सम्बंधित महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर वेरिफिकेशन उपरांत शुल्क जमा कर उसी दिन प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- मेजर माइनर के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पात्रता विश्विद्यालय अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे। समस्त सम्बंधित प्राचार्य विश्विद्यालय से समन्वय कर पात्रता निर्धारण की कार्यवाही करेंगे।
- उक्त प्रक्रिया **1 सितंबर से 6 सितंबर 2025** तक आयोजित की जाएगी।
- उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत **6 सितंबर 2025** को शाम **5 बजे** तक प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है।
- **6 सितंबर 2025** को निर्धारित समय के बाद प्रवेश मान्य नहीं होंगे।

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

प्रार्थनालोप:-

- 1- निज सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
- 2- निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
- 3- कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश
- 4- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र.
- 5- प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय म.प्र.

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.